



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012025-259898
CG-DL-E-03012025-259898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/ पौष 13, 1946

No. 47]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/ PAUSHA 13, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

का.आ.49(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'कर्नाटक राज्य बागवानी विकास एजेंसी', (पैन: AAAL0284C) जो कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक सोसायटी है, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

- (क) केन्द्र सरकार एवं कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान,
- (ख) कर्नाटक राज्य बागवानी विकास एजेंसी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार की गई बागवानी गतिविधियों से प्राप्त राजस्व जैसा कि कर्नाटक सरकार के दिनांक 14.11.2008 के आदेश संख्या: एएचडी 88 एचपीपी 2008 द्वारा जारी इसके संगम ज्ञापन में उल्लिखित है; तथा
- (ग) बैंक जमा पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'कर्नाटक राज्य बागवानी विकास एजेंसी'-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी;

(ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों क्रमशः 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 5 /2025 फा.सं. 300196/37/2019-आईटीए-1]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।